132

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 /13–14/निगरानी R-73-III/14.

मुन्ना खॉं पुत्र श्री रहमत अली खॉं, निवासी ग्राम रिरसौंद तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म0प्र0)

——प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री तक्खू
2. पप्पू पुत्र श्री किशना निवासीगण ग्राम नया अमोला तहसील करैरा जिला शिवपुरी

——प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 51/12–13/अपील मे पारित आदेश दिनांक 03.10.2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यहकि कृषि स्थित ग्राम सिरसोद तहसील करैरा जिला शिवपुरी में स्थित होकर सर्वे कमांक 4662 रकवा 1.00है0 भूमि का व्यवस्थापन हेतु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा संपूर्ण विहित प्रकिया का पालन करते हुये प्रार्थी के हित में व्यवस्थापन/बंटन की कार्यावाही सुचारू रूप से करते हुये विधिवत इश्तहार प्रकाशन कराने के उपरांत प्रार्थी पात्रता में आने से

कमशः 02

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./73/तीन/2014 जिला- शिवपुरी

मुन्ना खां विरूध सीताराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-51/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 03/10/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	